न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय
कक्ष संख्या 2, देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या–32/2019
सरकार बनाम चन्द्रमा प्रसाद व एक अन्य
धारा–302/34, भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली, जनपद–देवरिया।

<u>19.02.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्तगण चन्द्रमा प्रसाद तथा बालेश्वर प्रसाद पुत्रगण विन्देश्वरी प्रसाद न्यायालय उपस्थित आये। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण विरूद्ध धारा–302/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–302/34 भाा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–05.03.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–19.02.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–2,
देवरिया।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय
कक्ष संख्या 2, देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या–32/2019
सरकार बनाम चन्द्रमा प्रसाद व एक अन्य
धारा–302/34, भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली, जनपद–देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय) कक्ष संख्या–2, देवरिया, आप अभियुक्तगण–

1– चन्द्रमा प्रसाद पुत्र विन्देश्वरी
2– बालेश्वर प्रसाद पुत्र विन्देश्वरी

को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1–यह कि आप अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक–10/11.04.2016 को समय 12.30 बजे रात में ग्राम–फूलवरिया करन, थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया में जब शुभनरायन तिवारी के भाई हरिनाथ तिवारी तथा भतीजा अनिल कुमार तिवारी व चन्द्रमोहन तिवारी कम्बाइन से गेंहू कटवा रहे थे तो आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति के उद्देश्य से उनके साथ मारपीट किया तथा अनिल कुमार तिवारी को जान से मारने की नियत से उसके गले में तलवार घोप दिया जिससे चोट खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–302** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एततद्वारा आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–19.02.2021

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग किया।

दिनांक–19.02.2021

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2021.02.19 1?:32:33 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court